भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2397
04.08.2025 को उत्तर के लिए

वनरोपण और पुनर्वनरोपण संबंधी योजनाएं

2397. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः
श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान हरित भारत मिशन/राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम/"एक पेड़ मां के नाम'' योजनाओं के अंतर्गत किए गए वनरोपण और पुनर्वनरोपण कार्यों का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विशेषकर महाराष्ट्र में वनरोपण और पुनर्वनरोपण कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए कुल क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है;
(ग) रोपित किए गए पौधों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्रों का ब्यौरा क्या है और वृक्षारोपण के बाद निगरानी संरचना का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त वर्षों के दौरान रोपित किए गए पौधों की प्रजातियों का ब्यौरा क्या है और देशी और विदेशी प्रजातियों के बीच क्या अंतर है और इन वृक्षारोपणों का स्थानीय जैवविविधता और जल स्तर पर क्या पारिस्थितिक प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) मंत्रालय अन्य योजनाओं के साथ साथ राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), नगर वन योजना (एनवीवाई), और तटीय आवास एवं मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) जैसी वर्तमान स्कीमों के माध्यम से वनरोपण और पुनर्वनरोपण कार्य कर रहा है। प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (काम्पा) के माध्यम से भी वनरोपण कार्यकलाप संचालित किए जा रहे हैं। मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह आदि अवसरों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों को भी बढ़ावा देता है और इन अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाता है। नागरिकों को अपनी माँ के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 5 जून, 2024 को *'एक पेड़ मां के नाम'* अभियान शुरू किया गया है

महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत किए गए समग्र वनरोपण और पुनर्वनरोपण कार्य का विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है। वर्तमान वर्ष में महाराष्ट्र राज्य ने समग्र *'एक पेड़ मां के नाम'* के तहत 2,616,633 पौधे लगाए जाने की जानकारी दी है जिसको विभिन्न वनरोपण और पुनर्वनरोपण स्कीमों/कार्यक्रमों के अभिसरण से क्रियान्वित किया गया है।

(ग) वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण का अपनाया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के कार्यकलाप शामिल होते हैं। राज्य वन विभाग वार्षिक भौतिक सत्यापन और तृतीय-पक्षकार द्वारा निगरानी करवातें हैं और *मंत्रालय को .kml फ़ाइलें* और जियो-टैग की गई तस्वीरें भेजते हैं। उत्तरजीविता आकलन के आधार पर सुधारात्मक रखरखाव अभियान चलाए जाते हैं। मंत्रालय ने भू-स्थानिक उपकरणों का उपयोग करके केंद्रीकृत, पारदर्शी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय वनरोपण निगरानी प्रणाली (एनएएमएस) भी शुरू की है। मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), वन संसाधन सर्वेक्षण और वनावरण में परिवर्तन का आकलन करता है।

(घ) वनरोपण क्रियाविधियों के लिए प्रजातियों का चयन पारिस्थितिक उपयुक्तता और स्थल-विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित होता है, जिसमें देशी प्रजातियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है, और यह प्रत्येक राज्य अनुसार भिन्न भिन्न होती है। विदेशी प्रजातियों को तब तक नहीं अपनाया जाता, जब तक कि वे विशिष्ट पारिस्थितिक या सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति न करें और संबंधित राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न हों। देशी प्रजातियाँ स्थानीय जैव विविधता, मृदा स्वास्थ्य और जल स्तर पुनर्भरण को बनाए रखने में योगदान देती हैं, जबकि विदेशी प्रजातियाँ, यदि सावधानीपूर्वक प्रबंधित न की जाएँ, तो स्थानीय पारिस्थितिकी को बदल सकती हैं, जल उपलब्धता को प्रभावित कर सकती हैं, या देशी वनस्पतियों/जीवों को विस्थापित कर सकती हैं। राज्यों को पारिस्थितिक और सामुदायिक लाभों के लिए वृक्षारोपण हेतु स्थल-विशिष्ट उपयुक्तता वाली देशी, बहु-प्रजातियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

*****

अनुलग्नक-1

'वनरोपण और पुनर्वनरोपण संबंधी योजनाओं' के संबंध में श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे, श्रीमती भारती पारधी, श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा दिनांक 04.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2397 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में विभिन्न स्कीमों के तहत वृक्षारोपण क्रियाविधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोपण क्षेत्र (हेक्टेयर)	पौधे (लाखों में)
1	आंध्र प्रदेश	210106	1587
2	अरुणाचल प्रदेश	17751	43
3	असम	26981	421
4	बिहार	159423	1036
5	छतीसगढ	127272	886
6	गोवा	668	5
7	गुजरात	707153	4933
8	हरियाणा	70300	574
9	हिमाचल प्रदेश	61734	248
10	झारखंड	108793	707
11	कर्नाटक	153105	861
12	केरल	5281	49
13	मध्य प्रदेश	254284	1653
14	महाराष्ट्र	78599	836
15	मणिपुर	12255	95
16	मेघालय	2922	29
17	मिजोरम	7681	65
18	नागालैंड	7148	30
19	ओडिशा	237239	1675
20	पंजाब	78580	497
21	राजस्थान	299214	1439
22	सिक्किम	9197	60
23	तमिलनाडु	116415	577
24	तेलंगाना	848975	5738
25	त्रिपुरा	43135	245
26	उत्तराखंड	112469	731
27	उत्तर प्रदेश	1482150	10846
28	पश्चिम बंगाल	66786	397
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10395	52
30	चंडीगढ़	84	7
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2094	33
32	दिल्ली	21131	90
33	जम्मू और कश्मीर	34480	492
34	लद्दाख	334	9
35	लक्षद्वीप	41	0
36	पुदुचेरी	860	5
	कुल	**5375034**	**36949**

*****